



आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारों द्वारा खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** वास्ते नमूना जांच हेतु 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत श्री रामेश्वर गुर्जर पुत्र श्री गोबरी लाल गुर्जर (मौके पर मौजूद विक्रेता व मालिक) को 400/- रुपये (अक्षरे चार सौ रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** 800 ग्राम को चार नमूना भागो मे अलग-अलग कर साफ सूखी स्वच्छ काँच की शीशीयो मे बराबर बराबर भरकर प्रत्येक शीशीयो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.-949 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारों की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-949 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्टे में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री रामेश्वर गुर्जर पुत्र श्री गोबरी लाल गुर्जर ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वयं द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारों के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2019/341 दिनांक 5.9.2019 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 379/FSSA /Kota /Act /2019/398 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किये गये, खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स श्री देवनारायण दूध डेयरी, मिस्त्री मार्केट शाहबाद रोड किशनगंज जिला बारों से पत्रांक 350 दिनांक 17.09.2019 से सूचना चाही मैसर्स श्री देवनारायण दूध डेयरी, मिस्त्री मार्केट शाहबाद रोड किशनगंज जिला बारों द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में पेश की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 14.01.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जयें रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री नन्द किशोर गुर्जर अभिभाषक द्वारा मय वकालतनामा उपस्थित होकर, प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत नही कर अन्तिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर, प्रकरण मे अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर, प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

दौराने बहस राजस्थान सरकार जर्ने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक ( Sub Standard )** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**इसके विपरीत अप्रार्थी के अभिभाषक** द्वारा कहा गया कि मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा **घी (खुला)** वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदा था। जिसमें मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमायी जावे।

**इसके विपरीत प्रार्थी राजस्थान सरकार** जर्ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 379/FSSA /Kota /Act /2019/398 दिनांक 30.08.2019 से असन्तुष्ट था, तो अप्रार्थी को जर्ने पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये। किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

**मेरे द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी** और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क़य किया गया, खाद्य पदार्थ **घी (खुला)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 379/FSSA /Kota /Act /2019/398 दिनांक 30.08.2019 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक ( Sub Standard )** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत, अप्रार्थी को राशि 8000/- रूपये (अक्षरे आठ हजार रूपये मात्र) के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवाकेन्द्र से चालान निकलवाकर, जर्ने चालान बैंक में निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहम्मद अबूबक्र)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)